



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 14 मार्च, 2026

विषय:- जनपद जालौन के शहीद श्री श्याम सिंह सेंगर पुत्र श्री मुलायम सिंह सेंगर का स्मारक स्थल बनाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4006/सं०नि०-6(27)/2025-26 दिनांक 14.01.2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-2624 / चार-2025, दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात युद्धों में शहीद सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारकों का निर्माण के संबंध में निर्गत कार्ययोजना के क्रम में शासन के पत्र संख्या- 3497/चार-2025-1996487 दिनांक 15.12.2025 द्वारा जनपद जालौन के शहीद श्री श्याम सिंह सेंगर पुत्र श्री मुलायम सिंह सेंगर का स्मारक स्थल बनाये जाने हेतु सी० एंड डी० एस०, उ० प्र० जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2. अवगत कराना है कि दिनांक 26.02.2026 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रश्नगत परियोजना के संबंध में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू० 59.92 लाख पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद जालौन के शहीद श्री श्याम सिंह सेंगर पुत्र श्री मुलायम सिंह सेंगर का स्मारक स्थल बनाये जाने हेतु **रू० 59.92 लाख (रूपये उनसठ लाख बानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
- (3) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (4) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
 - (7) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० का होगा।
 - (8) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (9) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, भौतिक/ वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे भी शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।
 - (10) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था- सी० एंड डी० एस० को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 59,92,000/- (रुपये उनसठ लाख बानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 4202048001500** स्वतंत्रता के पश्चात युद्धों में शहीद सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारकों का निर्माण **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
 - 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
 - 3- जिलाधिकारी, जालौन।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
 - 6- प्रबंध निदेशक, सी० एंड डी० एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
 - 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
 - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।